फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी ....परमेश्वर.......................... विपक्षी ....नन्दलाल...............

किस्म मुकदमा.............वाद........................ पत्रावली संख्या.........71........सन......19.......

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.11.2019 पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारान को तहसीलदार रिपोर्ट पर बहस हेतु बार बार अवसर देने के बावजुद पक्षकारान के बहस प्रस्तुत नहीं करने एवं अनुपस्थित रहने से गत सुनवाई दिनांक को न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पर बहस के अवसर बन्द किये जाकर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया। आज भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। न्यायालय समय में न्यायालय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवायी गई, किन्तु वादीगण अथवा उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, जिससे जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति गम्भीर नही हैं। तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन से भी जाहीर आया कि दौराने दावा उभयपक्षकारान द्वारा बिना न्यायालय की जानकारी में लाये भुमि को विक्रय हकत्याग एवं दानपत्र आदि के जरिये हस्तान्तरित किया गया जिससे दावे के स्वरूप में ही परिवर्तन हो गया है। पक्षकारान के अनुपस्थित नही रहने एवं रिपोर्ट पर बहस प्रस्तुत नहीं करने से जाहिर होता है कि वादीगण का वाद वर्णित भूमि में अब बंटवाडे का कोई प्रयोजन नहीं रहा है अथवा पक्षकारान के मध्य कोई समझोता हो गया हो जिससे वादीगण इस मुकदमे को अब नहीं चलाना चाहते है। अथवा अपने वाद में पैरवी नहीं करना चाहता है। अतः वादीगण का वाद इसी स्टेज पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.01.21 11:25:09
IST
Reason: SelfAttested